तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/2023	पेशआम फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वाद का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ज़िला – बाड़मेर	

बर व तारीख
काम जो इस
की तामील
जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी–विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–220 / 2022

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. सरुपाराम दर्जी पुत्र खेताराम जाति दर्जी निवासी अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा		1. खेताराम पुत्र जोधाराम 2. ताजाराम पुत्र जोधाराम 3. बागाराम पुत्र जोधाराम जाति दर्जी निवासी अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा 4. महेश कुमार पुत्र विजय कुमार जाति खत्री निवासी आजाद चौक, बाड़मेर।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित

1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादी
2. श्री खेताराम जाखड वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांकः 20/12/2023

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा के खसरा संख्या कमंशः 429, 555 रकबा कमंशः 0.8741, 6.3697 हैक्टेयर व मौजा पिथाणियों की ढाणी, पटवार हल्का पूनियों का तला, तहसील गिड़ा में खसरा संख्या 568 रकबा 45.8346 हैक्टेयर की आई हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही पूर्वज जोधाराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी वादी के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादी के दादा जोधाराम के कब्जे काश्त की थी वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी का संयुक्त रुप से कब्जा काश्त हैं इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि हैं। और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा हैं व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा अनूसार काबिज हैं। क्यांकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दु परुष के पुत्र, पौत्र व पड़पौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायोकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। अतः वादीग को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवानें का अधिकार हैं एवं जिस हेतु यह वाद घोषणा का न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादी का यह वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO,
बायतु
जिला – बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जबाब लिखित में पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमती प्रदान की हैं। वादी द्वारा वाद के साक्ष्य के रुप में स्वंय सरुपाराम दर्जी पुत्र खेताराम शपथ पत्र PW-1, स्वंतत्र गवाह के रुप में उदयसिंह पुत्र प्रेमासिंह का शपथ पत्र PW-2, पेश किये गये। प्रतिवादी द्वारा वाद के साक्ष्य के रुप में स्वंय खेताराम पुत्र जोधाराम का शपथ पत्र DW-1 पेंश किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की कब्जे काश्त की थी। वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज जोधाराम के विधिक वारिशान हैं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता हैं व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्मिम डिक्री इस आश्य की जारी की जाती हैं कि मौजा अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा के खसरा संख्या क्रमंशः 429, 555 रकबा क्रमंशः 0.8741, 6.3697 हैक्टेयर व मौजा पिथाणियों की ढाणी, पटवार हल्का पूनियों का तला, तहसील गिड़ा में खसरा संख्या 568 रकबा 45.8346 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैलस सुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20/12/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु जिला बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

—: पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

वादी

1. सरुपाराम दर्जी पुत्र खेताराम जाति दर्जी निवासी अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेताराम पुत्र जोधाराम
2. ताजाराम पुत्र जोधाराम
3. बागाराम पुत्र जोधाराम जाति दर्जी निवासी अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा
4. महेश कुमार पुत्र विजय कुमार जाति खत्री निवासी आजाद चौक, बाड़मेर।

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद :— 220/2022 दिनांकः 20/12/2023

वादी की ओर से वकील श्री रतनाराम जाखड़ की उपस्थिति एवं प्रतिवादी वकील श्री खेताराम जाखड की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री विवेक व्यास, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि —

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिड़ा के खसरा संख्या क्रमशः 429, 555 रकबा क्रमशः 0.8741, 6.3697 हैक्टेयर व मौजा पिथाणियों की ढाणी, पटवार हल्का पूनियों का तला, तहसील गिड़ा में खसरा संख्या 568 रकबा 45.8346 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

आज तारीख 20/12/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO), बायतु
जिला — बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला — बाड़मेर